

अति-आवश्यक

प्रेषक

श्रम आयुक्त, हरियाणा,
चंडीगढ़।

सेवा में,

1. सभी क्षेत्रीय अधिकारी, श्रम विभाग, हरियाणा राज्य।
2. सभी क्षेत्रीय कर्मचारी, श्रम विभाग, हरियाणा राज्य।

क्रमांक: स्था०/०३/२०२१/ ३०२६१-४६२

दिनांक: २७-१२-२०२१

विषय:- ई—श्रम से संबंधित कार्य हेतु दिनांक ३१.१२.२०२१ तक अवकाश न लेने वारे।

उपरोक्त विषय के संदर्भ में।

विषयोक्त मामले में आपको अवगत करवाया जाता है कि अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, श्रम विभाग द्वारा निर्देश दिये गये हैं कि सभी क्षेत्रीय अधिकारी/कर्मचारी ई—श्रम पोर्टल पर श्रमिकों के पंजीकरण से संबंधित कार्य को पूर्ण करवायेंगे तथा दिनांक ३१.१२.२०२१ तक कोई भी अधिकारी /कर्मचारी अवकाश पर नहीं रहेगा।

कृप्या इसे परम अग्रता देवें।


अधीक्षक (स्था०),
कर्तृ: श्रम आयुक्त, हरियाणा।